

(हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा)

## हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

### अधिसूचना

सं0:वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2013


शिमला-4, दिनांक: 1 सितम्बर, 2015

राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 31 अगस्त, 2015 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

“मैं, आचार्य देवब्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा के नवम् अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान करता हूँ।

आचार्य देवब्रत,  
राज्यपाल,  
हिमाचल प्रदेश।”


आदेश द्वारा:-

  
सुन्दर सिंह बर्मा  
सचिव,  
हि0 प्र० विधान सभा।

पृ0स0: वि0स0:-विधायन-प्रा0/1-1/2013 दिनांक, शिमला 171004, 1 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।
2. हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा / लोक सभा के सभी सांसद, संसद भवन, नई दिल्ली।
3. महासचिव, राज्य सभा / लोक सभा, संसद भवन नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
5. सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य प्रणाली विभाग, संसद भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोका रोड, नई दिल्ली।
7. प्रधान सचिव, माननीय मुख्य मंत्री / निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, हिमाचल प्रदेश।
8. सचिव, राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश।
9. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
10. प्रमुख सचिव / सचिव, भारत वर्ष के समस्त विधान मण्डल / केन्द्रीय शासित क्षेत्र।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
12. निदेशक, आकाशवाणी / दूरदर्शन, शिमला-4। उनसे निवेदन है कि वे इस समाचार को एक सप्ताह तक एक से अधिक प्रसारणों में प्रसारित करने की कृपा करें।

  
सचिव  
हि0 प्र० विधान सभा। 10/09/2015